



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ पर्यावरण / 2026

नीति परिपत्र सं. 7.4.19/2026 दिनांक 25th अगस्त, 2026

{{ई-ऑफिस फाइल सं. EGHDIV-12030/19/2026-ENV & GHD Division (कम्प्यूटर सं. 324601 पर लिया गया निर्णय)}}

NHAI/ Policy Guidelines/ Environment/ 2026

Policy Circular No. 7.4.19 / 2026 dated 25th August, 2026

{{(Decision taken on E-Office File No. EGHDIV-12030/19/2026-ENV & GHD Division (Comp No. 324601)}}

विषय: "ईपीसी/एचएम/बीटी टोल परियोजनाओं से एवेन्यू वृक्षारोपण को अलग करने " के संबंध में भाराराप्रा की नीति परिपत्र संख्या 7.4.9 दिनांक 15 मार्च, 2023 को वापस लिया जाना।

Sub: Withdrawal of NHAI Policy Circular No. 7.4.9 dated 15th March, 2023 regarding "Delinking Avenue Plantations from EPC/HAM/BOT Toll Projects - reg:-

संविदात्मक उत्तरदायित्व को स्पष्ट करने, अन्य राजमार्ग कार्यों के साथ बेहतर समन्वय को सुविधाजनक बनाने और राजमार्ग परियोजनाओं के दायरे में एवेन्यू वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए "ईपीसीके संबंध में "परियोजनाओं से एवेन्यू वृक्षारोपण को अलग करना (टोल) बीओटी/एचएम/ेँ भाराराप्रा की नीति परिपत्र संख्या 7.4.9 दिनांक 15 मार्च, 2023 को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

In order to ensure clear contractual responsibility, facilitate better coordination with other Highway Works and retain Avenue Plantations within the scope of Highway Projects, it has been decided to withdraw NHAI Policy Circular No. 7.4.9 dated 15th March, 2023 regarding "Delinking Avenue Plantations from EPC/HAM/BOT (Toll) Projects" with immediate effect.

2. तदनुसार, दिनांक 15 मार्च, 2023 के उपरोक्त नीति परिपत्र के प्रावधानों, जिनमें एवेन्यू वृक्षारोपण को बाहर करने के लिए ईपीसी, एचएम और बीओटी (टोल) करार से संबंधित अनुसूचियों में किए गए संशोधन शामिल हैं, को वापस लिया जाता है।

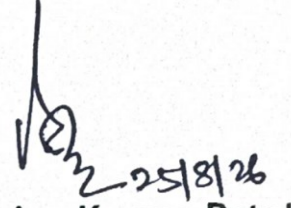
Accordingly, the Provisions of the aforesaid Policy Circular dated 15th March, 2023, including the modifications made in the relevant Schedules of EPC, HAM and BOT (Toll) Agreements for exclusion of Avenue Plantation, shall stand withdrawn.

3. जिन परियोजनाओं में एवेन्यू वृक्षारोपण का कार्य पहले ही किसी बाहरी एजेंसी को आवंटित किया जा चुका है, उसमें मौजूदा संविदात्मक व्यवस्था यथावत रहेगी। अन्य परियोजनाओं में एवेन्यू वृक्षारोपण संबंधित राजमार्ग परियोजना के दायरे का भाग होगा।

In respect of Projects wherein the Avenue Plantation Work has already been awarded to an External Agency, the existing contractual arrangement shall remain undisturbed. In other Projects, Avenue Plantation shall form part of the scope of the respective Highway Project.

Contd.....2/-

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.



(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information. Web Admin for circulation.